विविध **बैंक प्रकरण संख्या 76/2018** (RCMS **2018/00144**) State Bank of India, SME Branch-04073, Sunder Nagar, Ludhiana-141007 (Punjab) <u>बनाम</u> M/s **Dravya Daksh Overseas LLP, B-XIS-1348/20-21-B, Haibowal Khurd, Near Nirmal Chhaya Apartments, Ludhian through its partners Sh. Sandeep Jain S/o Sh. Nem Chand Jain r/o Nempro Cair Fashion, Camp Wali Gali, Rori Bazar, Sirsa, Haryana, Sh. Vipin Jain s. Sh. Nem chand Jain and Smt. Vandana Jain w/o Sh. Vipin Jain both residents of 1348/18-A, Haibowal Khurd, Near Nirmal Chhaya Apatments, Ludhiana**

<u>04.12.2019</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/19/252 दिनांक 25.02.2019, 355/04.04.2019 एवं 440/14.05.2019 एवं रजिस्टर्ड पत्रांक 1405/20.11.2019 से अप्रार्थीगण ऋणियों वंदना जैन एवं विजय जैन को जारी धारा 13(2) का नोटिस भेजने की पोस्ट ऑफिस की रसीद एवं अप्रार्थीगण ऋणियों वंदना जैन, विजय जैन एवं संदीप जैन की नोटिस प्राप्ति की पोस्ट ऑफिस की एडी रसीद पेश करने हेतु लिखा गया था, परन्तु प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त पत्रों का कोई जवाब पेश नहीं किया गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है :

प्रार्थी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी श्री संजीव शर्मा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण मैसर्स दव्य दक्ष ऑवरसिज, लुधियाना – प्रो. संदीप जैन, संदीप जैन, विपिन जैन, श्रीमती वंदन जैन, विजय जैन एवं कस्तूरी लाल जैन को ऋण सुविधा के रूप में 7.20 करोड़ रूपये (अखरे रूपये सात करोड़ बीसा लाख मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी कस्तूरी लाल जैन की सम्पत्ति Property/industrial plot measuring 1.265 Hecteres (12650 Square Meters), comprised out of Khatta No. 63/54, Muraba No. 06, Killa No. 6/0.253, 7/0.253, 8/0.253, 9/0.253, 10/0.253, situated at chak 23 GG, Tehsil and Distt. Sri Ganganagar (Rajasthan), as per sale deed wasika No. 256 dated

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

16.03.2015 and Property Meauring 47.77 Square Yards, situated at Shop No. 65, Old Dhan Mandi, Sri Ganganagar (Rajasthan), as per Lease deed wasika No. 2041 dated 24.03.2014 और कस्तूरी लाल जैन और विजय कुमार जैन की सम्पत्ति Property/shop No. 65, measuring 1612.65 Square feet situated at old dhan Mandi, Sri Ganganagar (Rajasthan), as per sale deed wasika no.s 5431 & 5430 dated 22.08.2014 each 540 dated 13.02.2006, and 486 dated 08.02.2006, 607 and 608 dated 11.03.1991 में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। अप्रार्थी ऋणियों द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किये जाने के कारण उनका ऋण खाता अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थीगण ऋणियों के नाम दिनांक 20.03.2018 को कुल 6,97,93,752/—रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 21.03.2018 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का रजिस्टर्ड डाक से जारी किया गया जिसकी तामील अप्रार्थीगण पर हो चुकी है इसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी कस्तूरी लाल जैन की सम्पत्ति Property/industrial plot measuring 1.265 Hecteres (12650 Square Meters), comprised out of Khatta No. 63/54, Muraba No. 06, Killa No. 6/0.253, 7/0.253, 8/0.253, 9/0.253, 10/0.253, situated at chak 23 GG, Tehsil and Distt. Sri Ganganagar (Rajasthan), as per sale deed wasika No. 256 dated 16.03.2015 and Property Meauring 47.77 Square Yards, situated at Shop No. 65, Old Dhan Mandi, Sri Ganganagar (Rajasthan), as per Lease deed wasika No. 2041 dated 24.03.2014 और कस्तूरी लाल जैन और विजय कुमार जैन की सम्पत्ति Property/shop No. 65, measuring 1612.65 Square feet situated at old dhan Mandi, Sri Ganganagar (Rajasthan), as per sale deed wasika no.s 5431 & 5430 dated 22.08.2014 each 540 dated 13.02.2006, and 486 dated 08.02.2006, 607 and 608 dated 11.03.1991 का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मैने पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण ऋणियों मैसर्स द्रव्य दक्ष ऑवरसिज, लुधियाना प्रो. संदीप जैन, सदीप जैन, विपिन जैन, वंदना जैन, कस्तूरी लाल जैन एवं विजय कुमार जैन को 7.20/– करोड़ रूपये (अखरे रूपये सात करोड़ बीस लाख मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी, **स्वीकृति दिनांक का अंकित नहीं है।** ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी कस्तूरी लाल जैन की सम्पत्ति Property/industrial plot measuring 1.265 Hecteres (12650 Square Meters), comprised out of Khatta No. 63/54, Muraba No. 06, Killa No. 6/0.253, 7/0.253, 8/0.253, 9/0.253, 10/0.253, situated at chak 23 GG, Tehsil and Distt. Sri Ganganagar (Rajasthan), as per sale deed wasika No. 256 dated 16.03.2015 and Property Meauring 47.77 Square Yards, situated at Shop No. 65, Old Dhan Mandi, Sri Ganganagar (Rajasthan), as per Lease deed wasika No. 2041 dated 24.03.2014 और कस्तूरी लाल जैन और विजय कुमार जैन की सम्पत्ति Property/shop No. 65, measuring 1612.65 Square feet situated at old dhan Mandi, Sri Ganganagar (Rajasthan), as per sale deed wasika no.s 5431 & 5430 dated 22.08.2014 each 540 dated 13.02.2006, and 486 dated 08.02.2006, 607 and 608 dated 11.03.1991 जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार **अप्रार्थी ऋणियों का खाता अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) होने की दिनांक अंकित नहीं की है किन्तु बाद में प्रार्थी बैंक ने एक पत्र अपने Ref. No. RMME/LS/2018-19/b dated 11.12.2018 जो दिनांक 24.12.2018 को पेश किया है के अनुसार अप्रार्थीगण का खाता दिनांक 28.10.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया है।** बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणीं को धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 21.03.2018 को जारी किया गया है इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है इसलिए अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पत्ति Property

जिला मैजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

/industrial plot measuring 1.265 Hecteres (12650 Square Meters), comprised out of Khatta No. 63/54, Muraba No. 06, Killa No. 6/0.253, 7/0.253, 8/0.253, 9/0.253, 10/0.253, situated at chak 23 GG, Tehsil and Distt. Sri Ganganagar (Rajasthan), as per sale deed wasika No. 256 dated 16.03.2015 and Property Meauring 47.77 Square Yards, situated at Shop No. 65, Old Dhan Mandi, Sri Ganganagar (Rajasthan), as per Lease deed wasika No. 2041 dated 24.03.2014 और कस्तूरी लाल जैन और विजय कुमार जैन की सम्पत्ति Property/shop No. 65, measuring 1612.65 Square feet situated at old dhan Mandi, Sri Ganganagar (Rajasthan), as per sale deed wasika no.s 5431 & 5430 dated 22.08.2014 each 540 dated 13.02.2006, and 486 dated 08.02.2006, 607 and 608 dated 11.03.1991 का भौतिक कब्जा पुलिस की सहायता से दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी सम्पत्ति Property/industrial plot measuring 1.265 Hecteres (12650 Square Meters), comprised out of Khatta No. 63/54, Muraba No. 06, Killa No. 6/0.253, 7/0.253, 8/0.253, 9/0.253, 10/0.253, situated at chak 23 GG, Tehsil and Distt. Sri Ganganagar (Rajasthan), as per sale deed wasika No. 256 dated 16.03.2015 and Property Meauring 47.77 Square Yards, situated at Shop No. 65, Old Dhan Mandi, Sri Ganganagar (Rajasthan), as per Lease deed wasika No. 2041 dated 24.03.2014 tks कस्तूरी लाल जैन की के नाम से है और Property/ shop No. 65, measuring 1612.65 Square feet situated at old dhan Mandi, SriGanganagar (Rajasthan), as per sale deed wasika no.s 5431 & 5430 dated

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

22.08.2014 each 540 dated 13.02.2006, and 486 dated 08.02.2006, 607 and 608 dated 11.03.1991 जो कस्तूरी लाल जैन और विजय कुमार जैन के नाम से है का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 21.03.2018 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 21.03.2018 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने हेतु धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणियों मैसर्स द्रव्य दक्ष ऑवरसिज, लुधियाना–प्रो. संदीप जैन, संदीप जैन, विपिन जैन, वंदना जैन, कस्तूरीलाल जैन एवं विजय जैन के नाम से नोटिस जारी किये गये है। धारा 13(2) के जारी किये गये नोटिस भेजने की पोस्ट ऑफिस की कोई रसीद अप्रार्थीगण वंदना जैन एवं विजय जैन के नाम से पत्रावली में उपलब्ध नहीं है एवं अप्रार्थीगण संदीप जैन, वंदना जैन और विजय जैन को नोटिस प्राप्त होने की कोई एडी रसीद या पोस्ट ऑफिस की डाक वितरण रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रतीत होता हो की अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा 13(2) के जारी उक्त नोटिस उन पर तामील हो चुके हो। जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार उक्त नोटिस तामील होने आवश्यक है। बार बार पत्र संख्या सीजी/वाचक/19/252 दिनांक 25.02.2019, 355/04.04.2019 एवं 440/14.05.2019 एवं 1405/20.11.2019 जारी करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण संदीप जैन, वंदना जैन एवं विजय जैन की तामील के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। इसलिए धारा 13(2) के नोटिस के तामील के अभाव में प्रार्थी बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः उक्त विवेयन के आधार पर प्रार्थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लुधियाना का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 17.07.2018 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 खारिज किया जाता** है। प्रार्थी बैंक अप्रार्थीगण के विरूद्ध सम्पूर्ण कार्यवाही पुनः नये सिरे से अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर प्रकरण पुनः प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर